शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वाशासी महाविद्यालय, जबलपुर

AUTONOMOUS EXAMINATION CELL

2019

परीक्षा प्रकोष्ठ की संचालन समिति

1.	डॉ. आर. सैमुअल	मुख्य परीक्षा नियंत्रक
2.	डॉ. प्रभा पुरवार	परीक्षा नियंत्रक
3.	डॉ. मधुमिता भटटाचार्य	उप–परीक्षा नियंत्रक
4.	डॉ. मीना इडिथ केलर	सदस्य
5.	डॉ. नीलू रघुवंशी	सदस्य

परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारी

1.	श्री मलेश राम पटेल	कार्यालय सहायक
2.	श्री भीकम सिंह	कार्यालय सहायक
3.	श्री प्रदीप चौकसे	कार्यालय सहायक
4.	श्री सुनील रजक	कार्यालय सहायक
5.	श्री पदमेश तिवारी	कम्प्युटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर
6.	श्री सतीश चन्द्र दास	कम्प्युटर आपरेटर
7.	श्री मुन्ना लाल उक्के	सहायक

स्वशासी परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत

अकादमिक नियम

शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर, (म.प्र.) जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सहबद्ध (पिसपंजग) है को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, द्वारा सत्र 1992 – 93 में स्वशासी घोषित किया गया । यह प्रणाली इस महाविद्यालय में सफलता पूर्वक निरन्तर चल रही है जिसको समय–समय पर निरीक्षण उपरान्त समितियों तथा नैक द्वारा 2003, 2012 में प्रशंसित किया गया है।

नये पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बी.बी.ए. पाठ्यक्रम (स्ववित्तीय) सत्र 2006–07 सेमेस्टर प्रणाली में प्रारम्भ किया गया । सत्र 2007–08 में बी. काम. में कम्प्युटर एप्लीकेशन विषय की शुरूआत की गई है, सत्र 2008–2009 से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई । तथा सत्र 2017–18 से वार्षिक प्रणाली स्नातक स्तर (बी.ए. /बी.काम./बी.बी.ए.)प्रारम्भ किया गया है ।

स्वशासी योजना के अतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी नियम, पाठ्यक्रम निर्धारण, सतत् व्यापक मूल्यांकन, शैक्षणेत्तर गतिविधि, सेमेस्टर/ वार्षिक परीक्षा एवं अनुशासन से संबंधित जो मार्गदर्शक सिद्धांत और नियम निर्धारित किये गये है वे नियमानुसार है । इन नियमों में महाविद्यालय की विद्या–परिषद् समय–समय पर आवश्यक संशोधन करती ।

1 : अकादमिक वर्ष (सेमेस्टर–स्नातक)

1.1 अकादमिक वर्ष से तात्पर्य बारह माह की ऐसी अवधि से है जिसमें एक अध्ययन चक्र पूरा होता है। यह वर्ष एक जुलाई से प्रारंभ होगा और 30 जून को समाप्त होगा।

1.2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 180 अध्यापन दिवस होते हैं।

यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश अध्यापन दिवस पूरे न होने की स्थिति में अध्ययन दिवसों की क्षतिपूर्ति नियमानुसार की जाती है :–

(i) साप्ताहिक कार्यभार में वृद्धि करके, और /या

(ii) दीर्घावकाश में कमी करके और जहां आवश्यक हो अतिरिक्त अध्यापन कक्षायें लेकर।

1.3 वर्ष का विस्तृत केलेन्डर प्राचार्य द्वारा प्रसारित किया जाता है ।

2 : स्नातक कक्षाओं में प्रवेश

2.1 स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा ।

2.2 छात्र द्वारा आन लाइन भरकर प्रस्तुत किये गये प्रपत्र की शासकीय नियमों के अनुसार जांच की जाती है । जांच में चयन की पात्रता वाले छात्रों की प्रवेश की सूची मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा द्वारा जारी की जाती है जिसके अनुसार स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष प्रवेश दिया जाता है।

2.3 प्राचार्य को प्रवेश का विशेषाधिकार होगा।

2.4 बी. ए., बी. काम., बी.बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु निम्न अर्हतायें आवश्यक होगी –

(i) छात्र ने म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2 पद्धति) से उत्तीर्ण की हो अथवा अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय, संस्था, जिसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, ने मान्यता प्रदान की हो, से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) किसी संस्था का अनुत्तीर्ण छात्र उसी कक्षा/संकाय में प्रवेश के योग्य नहीं होगा।

(iii) केवल प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्रों को संकाय परिवर्तन कर अन्य संकाय में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी परंतु ऐसे छात्रों को प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब वर्तमान सत्र में पास होने वाले छात्रों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त बचे हों।

(iv) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/प्रावधान लागू होंगे।

2.5 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश निम्नानुसार दिया जावेगा :–

(i) छात्र ने अर्हताकारी परीक्षा पास कर ली हो।

(ii) छात्र जो प्रथम, अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ हो, उसे अस्थायी रुप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। परंतु ऐसे छात्र को अनुत्तीर्ण विषय, पूरक परीक्षा में पास करना होगा। यदि इस पूरक में गत कक्षा का विषय उत्तीर्ण करने में छात्र असफल रहा तो उसका द्वितीय या तृतीय वर्ष में प्रवेश स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।

2.6 कला–वाणिज्य की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं के ऐसे प्रवेशार्थी जिनके अभिभावक अन्य नगरों से स्थानांतरित होकर जबलपुर नगर में पदस्थ हुए है उन्हें स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जावेगा।

2.7 कंडिका 4.6 में उल्लेखित प्रवेशार्थी को प्रवेश की पात्रता महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूहों के अनुसार ही होगी।

2.8 कंडिका 4.6 में उल्लेखित ऐसे प्रवेशार्थी को जो अन्य महाविद्यालय से स्थानातरित होकर द्वितीय वर्ष में प्रवेश चाहते हैं, किन्तु उनके प्रथम वर्ष के विषय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है, उन्हें पाठ्यक्रम की समतुल्यता की शर्त पर विश्वविद्यालय की अनुमति पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के साथ–साथ प्रथम वर्ष की परीक्षा भी देनी होगी।

3 : पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कार्यक्रम

3.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा जो महाविद्यालय के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया हो और समय समय पर संशोधित किया गया हो।

3.2 स्नातक स्तर पर बी. ए./बी. काम. /बी.बी.ए. अनुमोदित पाठ्यक्रम जारी होगा।

3.3 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को आधार पाठ्यक्रम और अन्य तीन विषयों में अध्ययन करना होगा जो निम्नानुसार होंगे :–

कला संकाय

(v)आधार पाठ्यक्रम–इसमें तीन प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 30 तथा तृतीय प्रश्न–पत्र 25 अंक का होगा।

प्रश्न पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिएन्यूनतम अंक
(1) हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य	30	
(2) अंग्रेजी भाषा	30	28
(3) उद्यमिता विकास (प्रथम वर्ष)	25	
पर्यावरण अध्ययन (द्वितीय वर्ष)		

आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा होगी जिसमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

प्रश्न पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिए (त्रैमासिक एवं छमाही)न्यूनतम अंक
(1) हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य	05	
(2) अंग्रेजी भाषा	05	05
(3) उद्यमिता विकास (प्रथम वर्ष)	05	
पर्यावरण अध्ययन (द्वितीय वर्ष)		

(i) ऐच्छिक विषय–कला संकाय में म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित के आधार पर कोई तीन ऐच्छिक विषय लेना होगें। प्रत्येक विषय में दो–दो प्रश्न–पत्र होगे। प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 40 अंक होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंक 50 होंगे।

सैद्धातिक विषय में दो प्रश्न–पत्रों में परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 27 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह प्रायोगिक परीक्षा में 17 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

विषय प्रश्न – पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक
सैद्धातिक विषय प्रथम	40	27
द्वितीय	40	
सैद्धातिक विषय प्रथम	40	27
द्वितीय	40	
सैद्धातिक विषय प्रथम	40	27
द्वितीय	40	
प्रायोगिक विषय ––	50	17

आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा होगी जिसमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

विषयप्रश्न – पत्र		कुल अंक	उत्तीर्ण होने के (त्रैमासिक एवं छमाही) लिए न्यूनतम अंक
सैद्धातिक विषय	प्रथम	55	07
	द्वितीय	55	
	प्रथम	55	07
	द्वितीय	55	
	प्रथम	55	07
	द्वितीय	55	

वाणिज्य संकाय

3.4

(i) म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षो में आधार पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य है।

(ii) आधार पाठ्यक्रम–इसमें तीन प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 30–30 अंको का तथा तृतीय प्रश्न–पत्र 25 अंक का होगा।

	प्रश्न पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिएन्यूनतम अंक
(1)	हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य	30	
(2)	अंग्रेजी भाषा	30	28
(3))	उद्यमिता विकास (प्रथम वर्ष)	25	
	पर्यावरण अध्ययन (द्वितीय वर्ष)		

आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा होगी जिसमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

प्रश्न पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिए (त्रैमासिक एवं छमाही) न्यूनतम अंक
(1) हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य	05	
(2) अंग्रेजी भाषा	05	05
(3) उद्यमिता विकास	05	

पर्यावरण अध्ययन

(अ) ऐच्छिक विषय–वाणिज्य संकाय में म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल एवं महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अध्ययन मण्डल अनुमोदित के आधार पर वाणिज्य संकाय अन्तर्गत दो अनिवार्य विषय के साथ तीसरा ऐच्छिक विषय लेना होगें। प्रत्येक विषय में दो प्रश्न–पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 40 अंक होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंक 50 होंगे।प्रत्येक विषय में दो प्रश्न–पत्रों में परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 27 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह प्रायोगिक परीक्षा में 17 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ब) बी. कॉम. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त तीन और विषयों का अध्ययन करना होगा –

लेखा समूह Accounts Group,प्रबंध समूह Managment Group

व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह Applied Economics अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम समूह (कार्यालय प्रबंध एवं सचिवीय कार्यविधि)(Office Management – Stenography) अथवा कम्प्युटर एप्लीकेशन (Computer Application)

उपरोक्त लेखा समूह Accounts Group izca/k lewg Managment Group अनिवार्य हैं, परंतु व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह |चचसपमक ग्बवदवउपबे अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम समूह (Office Management & Stenography) (कार्यालय प्रबंध एवं सचिवीय कार्यविधि) अथवा कम्प्युटरएप्लीकेशन (Computer Application)पाठ्यक्रम का विकल्प है । विकल्प का चयन प्रथम वर्ष में ही करना होगा उसके बाद आने वाली कक्षाओं में विषय बदला नहीं जा सकता । अनिवार्य विषयों में दो–दो प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय होंगे। तीसरे विषय में भी दो प्रश्न पत्र

होंगे परंतु यदि छात्र ने तीसरे वाणिज्य विषय के स्थान पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम अथवा कम्प्युटर एप्लीकेशन (Computer Application) लिया है, तो उसमें दो प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अंको की योजना निम्नानुसार होगी :–

विषय	प्रश्न – पत्र	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक
Accounts Group	प्रथम	40	27
लेखा समूह	द्वितीय	40	
(अनिवार्य विषय)			
Managment Group	प्रथम	40	27
प्रबंध समूह	द्वितीय	40	
(अनिवार्य विषय)			
Applied Economics	प्रथम	40	27
व्यवहारिक अर्थशास्त्र	द्वितीय	40	
(एच्छिक विषय)			
		अथवा	
Office Management	प्रथम	40	27
& Stenography	द्वितीय	40	
कार्यालय प्रबंधन एवं आशुलिपि(एच्छिक विषय)			
प्रायोगिक विषय—		50	17
		अथवा	
Computer Application	प्रथम	40	27
कम्प्युटर एपलीकेशन	द्वितीय	40	
(एच्छिक विषय)			
प्रायोगिक विषय —		50	17

आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न–पत्र हेतु त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा होगी जिसमे अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

विषय	प्रश्न – पत्र	कुल अंक		उत्तीर्ण होने के (त्रैमासिक एवं छमाही) लिए न्यूनतम अंक
सैद्धातिक विषय	प्रथम	55		07
	द्वितीय	55		
	प्रथम	55	07	
	द्वितीय	55		
	प्रथम	55	07	
	द्वितीय	55		

3.5 बी.बी.ए. वार्षिक परीक्षा योजना

वार्षिक पद्धति का प्रारम्भ सत्र 2017–18 से की गयी तदनुसार बी.बी.ए. कक्षाओं के छात्र को वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित विषय के छः प्रश्न पत्रों में अध्ययन करना होगा । प्रत्येक कक्षाओं को तीन समूहों तथा प्रश्नपत्र पाँच इकाइयो में विभक्त होगा । आंतरिक मूल्याकन के अन्तर्गत त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसमें पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

विषय	पूर्णांक	पास होने के लिये न्यूनतम अंक
प्रश्नपत्र प्रथम	40	16
प्रश्नपत्र द्वितीय	40	16
प्रश्नपत्र तृतीय	40	16
प्रश्नपत्र चतुर्थ	40	16
प्रश्नपत्र पंचम	40	16
प्रश्नपत्र षष्ठम	40	16
योग –	240	
आंतरिक अंक–	60	
कुल योग –	300	न्यूनतम एग्रीगेट – 150

3.6 बी.ए. / बी.काम. के सभी प्रश्न पत्र पाँच इकाईयों में विभाजित होंगे।

3.7 बी.ए. / बी.काम. के छात्रों को हर कक्षा में आधार पाठ्यक्रम के तीन प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त छः अन्य प्रश्न पत्र इस तरह कुल नौ प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होगा।

3.8 प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एक ही विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्र को एक विषय में अनुत्तीर्ण माना जायेगा। यदि वह केवल प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे केवल प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण माना जायेगा यदि वह केवल सैद्धांतिक में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे केवल सैद्धांतिक में अनुत्तीर्ण माना जायेगा। इसी के अनुसार उसे पूरक की पात्रता होगी। ऐसे छात्र जिन्होंने एक से अधिक प्रायोगिक विषय पत्र लिये है और वह एक विषय के प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण रहते हैं तथा दूसरे विषय के सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो उन्हें दो विषयों में अनुत्तीर्ण माना जायेगा।

4. अध्यापन का माध्यम

अध्यापन का माध्यम, भाषा और साहित्य के विषयों को छोड़कर सभी विषयों के लिये हिन्दी होगा, परंतु यदि पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपलब्ध हुए तो अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था की जा जायेगी।

5. उपस्थिति

वर्ष के दौरान आयोजित सभी व्याख्यानों, प्रायोगिक एव अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में छात्रों को उपस्थित रहना होगा।प्रत्येक छात्र को प्रत्येक विषय समूह मे कम से कम 75 प्रतिशत सैद्धांतिक एवं कम से कम 75 प्रतिशत प्रायोगिक कक्षाओं में अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर विभागाध्यक्ष से परामर्श करने के उपरांत प्राचार्य द्वारा अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक उपस्थिति में छूट दी जा सकेगी। यदि उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम हो तो छात्र को परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

6.1 कृपांक – स्नातक स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण हेतु अधिकतम कृपांक 3 (तीन) होंगे। जिसे अधिकतम दो विषयों हेतु विभक्त किया जा सकेगा यथा–1–1, 2 –1 कृपांक को प्राप्तांकों के योग में जोड़ा नहीं जायेगा।

6.2 पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को कृपांक का प्रावधान नहीं है।

7. श्रेणी निर्धारण –

पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात श्रेणी का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

प्रथम श्रेणी – 60 प्रतिशत या उससे अधिक

द्वितीय श्रेणी – 45 प्रतिशत परंतु 60 प्रतिशत से कम

तृतीय श्रेणी – 33 प्रतिशत परंतु 45 प्रतिशत से कम

75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर विशेष योग्यता उस विषय में उल्लेखित की जाती है । वार्षिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा के उपरांत एक पूरक परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। केवल ऐसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, पूरक परीक्षा के पात्र होंगे। बी. ए. /बी. कॉम./ प्रथम वर्ष एव बी. ए./बी.कॉम. द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में पूरक परीक्षा की पात्रता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है कि वे नियत तिथि तक अगली कक्षा में प्रवेश ले लें। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को अगली कक्षा में दिया गया अस्थायी प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा। पूरक परीक्षा के अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जायेंगे जिनकी गणना पूरक प्राप्ति के पश्चात् लगातार दो होने वाली परीक्षाओं के लिए ही होंगी । जो छात्र इनमें अनुत्तीर्ण/असम्मिलित होंगे उन्हें तीसरी बार संपूर्ण परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।

7.1 बी.बी.ए. वार्षिक पद्धति

बी.बी.ए. वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत त्रैमासिक एवं छमाही परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसमें पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । प्रत्येक कक्षाओं को तीन समूहों तथा प्रश्न पत्र पाँच इकाईयों में विभक्त होगा (विस्तृत जानकारी 3.5 में दर्शायी गयी है) । प्रत्येक कक्षा में छः प्रश्न–पत्रों का अध्ययन करना होगा जिसका आंतरिक मूल्यांकन के साथ योग–300 अंको का होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिये छात्र को न्यूनतम एग्रीगेट– 150 अंक (पूर्णांक का 50 प्रतिशत) होगा ।

7.2 अनुचित साधनों का प्रयोग (U. F. M.)

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्रों से संबंधित कार्यवाही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की कोआर्डिनेशन कमेटी के नियमों के सेक्सन 52 (4) (V) के अन्तर्गत की जायेगी।

7.3 उत्तर–पुस्तिका का अवलोकन (Observation of Answerbook)

उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन सत्र 2016–17 से प्रारम्भ किया गया है । इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में शुल्क सहित आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिये। उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन परीक्षार्थी आबंटित अंको का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगें तत्पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये प्राचार्य दो बाह्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे जो

अलग–अलग अवलोकन करेंगे। Appendix-I (Refer Clause No.-19) सेक्सन 11 (A to D)के अन्तर्गत की जायेगी।

7.1 **अंको की पुनर्गणना** (RETOTALLING) -

छात्र यदि चाहें तो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके एव निर्धारित शुल्क जमा करके अपनी वार्षिक परीक्षा–पूरक परीक्षा के अंको के योग की जांच करवा सकेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अंकों के योग की जांच हेतु एक समिति गठित की जावेगी जिसमें कम से कम दो शिक्षक होंगे। यह समिति अंको के योग की जांच करेगी।

8. पुनर्मूल्यांकन (REVALUATION) –

पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शुल्क सहित आवेदन पत्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिये। प्राप्त आवेदन पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राचार्य दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे जो अलग अलग मूल्यांकन करेंगे। मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण / पूरक / उत्तीर्ण छात्र अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का पुनर्मूल्यांकन करा सकेगें।

पुनर्मूल्यांकन के नियम रा. दु. वि. वि. जलबपुर के आर्डिनेन्स नं. 71 के प्रावधान के अनुसार होगें। Appendix-I (Refer Clause No.-19) सेक्सन 11 (A to D) के अन्तर्गत की जायेगी। (उद्धरित)

8.1 A candidate whose result of Main examination has been declared may apply to the Principal for the revaluation of any of his answer-books, in the prescribed form given in within fifteen days after the date of declaration of the result or Ten days after the date of the issue of mark-sheet whichever is later.

Provided that no candidate shall be allowed to have more than two answer-books revalued.

Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional test and thesis/ dissertation/Project Report submitted at the examination.

Provided also that when the result of the candidate is withheld for non-compliance of certain conditions on his part, e. g. non-submission of Migration-Certificate or original documents, etc. the time limit for accepting his form would not be extended on this accout, i. e. it would be within 15 days after the date of declaration of the result or Tendays counted from the date of the issue of the mark-sheet in general to those candidates whose result was not withheld.

8.2 The cost of Application form & the fee for revaluation shall be notified from time to time.

8.3 A photostat or an attested copy of the mark-sheet should be attached by the andidate along with application for revaluation.

8.4 An undertaking should be obtained from the application that he has gone through the rules of Revaluation.

8.5 The scrutiny of marks shall be done before the answer-books are sent for revaluation, without the candidate applying for it. Should any change be found out, necessary action to revise the marks will be taken accordingly, and revaluation will be undertaken, if the candidate still desires to get his answer-books revalued.

8.6 Where a candidate applies for revaluation, the answer-book in which revaluation is sought, will be sent for valuation to two examiners (other than the one who initially valued it) who shall be froma place outside the jurisdiction of the college other than Mahakoshal Arts & Commerce College, a copy of the memorandum of instructions for the guidance of examiners, if prepared by the paper setter, will be sent to each of the two examiners to enable them to evaluate the answer-book concerned in the light of the standared set by the examiner and the memorandum of instructions. Each of the two examiners shall receive such remuneration for the revaluation of an answer-book, which may be fixed by the college from time to time.

8.7 If the marks awarded in the paper by any of the two examiners varies from the marks given by the original examiner by more than 10% of the maximum marks in the paper the average of the marks awarded by two of the examiners, the original examiner and the two revaluers and nearest to each other will be taken to represent the correct valuation. This average of marks will be awarded to the candidate for the revision of his result. Provided that subject to the condition that at least one of the variation from the original marks is more than 10% of the maximum marks in the paper, if two differences in marks allotted by the

three examiners are equal, the two marks to the best advantage of the candidate shall be taken into ac count for arriving at the correct valuation. Provided further that if the average of the marks thus arrived at is lesser than the original marks, the original marks will not be reduced and the result shall remain unchanged, The result of Revaluation shall be notified even if there is no change in the marks.

8.8 If it is found during the process of revaluatin, that the variation of marks awarded by the original examiner and by other two external examiners is very large, giving rise to the suspicion that either the original examiner the original examiner or other examiners have not valued the answer-books properly and fairly, the Principal may got such cases scrutinized thoroughly, and may take such necessary action, which is necessary, to arrive at correct valuation of such answer-books.

9. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश

9.1 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा ।

9.2 छात्र द्वारा आन लाइन भरकर प्रस्तुत किये गये प्रपत्र की शासकीय नियमों के अनुसार जांच की जाती है । जांच में चयन की पात्रता वाले छात्रों की प्रवेश की सूची मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा द्वारा जारी की जाती है जिसके अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाता है।

10. अध्यापन का माध्यम

स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का माध्यम साहित्य के विषयों को छोड़कर सभी विषयों के लिये हिन्दी होगा। परंतु यदि पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी माध्यम के छात्र एवं शिक्षक उपलब्ध हों तो अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की व्यवस्था की जा सकेगी।

11. उपस्थिति

सत्र के मध्य आयोजित सभी व्याख्यान, प्रायोगिक एवं अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में छात्रों को उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

प्रत्येक छात्र को चारों प्रश्न पत्र के कुल योग की कम से कम 75 प्रायोगिक कक्षाओं में अनिवार्यत उपस्थित होना होगा अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। यदि उपस्थिति 75 से कम हो तो संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कर उपस्थिति पूरी की जाये। विशेष परिस्थितियों में पर्याप्त और उचित कारण होने पर विभागाध्यक्ष के परामर्श के उपरांत प्राचार्य

द्वारा दस प्रतिशत की उपस्थिति में छूट दी जा सकेगी। यदि उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होगी तो छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

12. स्नातकोत्तर परीक्षा योजना

सेमेस्टर परीक्षा योजना –

12.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को प्रथम सेमेस्टर के चार प्रश्न पत्रों में अध्ययन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र पांच इकाइयों में विभक्त होगा। किन्ही परिस्थितियों में मूल टी.सी./माइग्रेशन जमा नहीं किये बिना कोई छात्र/छात्रा मुख्य सेमेस्टर परीक्षा में यदि सम्मिलित हो जाता है तो उसका परीक्षाफल रोक लिया जायेगा।

12.2 भूगोल विषय में दो प्रायोगिक प्रश्नपत्र होंगे जिसमें पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है । परीक्षार्थी को हरएक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा वह अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। परीक्षार्थी के लिए कुल योग का 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

12.4 प्रत्येक इकाई के अध्यापन की समाप्ति पर सी.सी.ई. परीक्षा होगी । 40 अंकों की सी.सी.ई. (आंतरिक मूल्यांकन) परीक्षा होगी । इंटर्नशीप जो कि चतुर्थ सेमेस्टर में होगा 100 अंक के होंगे । इस प्रकार अंकों का विभाजन निम्ननुसार होगा ।

विषय	सेमेस्टर परीक्षा	पास होने के लिए न्यूनतम अंक 36:
प्रश्न पत्र प्रथम	40	14
प्रश्न पत्र द्वितीय	40	14
प्रश्न पत्र तृतीय	40	14
प्रश्न पत्र चतुर्थ	40	14
योग –	160	

आंतरिक सतत् मूल्यांकन

विषय	सेमेस्टर परीक्षा	पास होने के लिए न्यूनतम अंक 36:
प्रश्न पत्र प्रथम	10	4
प्रश्न पत्र द्वितीय	10	4
प्रश्न पत्र तृतीय	10	4

प्रश्न पत्र चतुर्थ	10	4
योग –	40	
इंटर्नशीप	100	40
भूगोल / मनोविज्ञान (प्रथम)	50	20
(प्रायोगिक –प्रथम)		
भूगोल / मनोविज्ञान (द्वितीय)	50	20
(प्रायोगिक–द्वितीय)		

चतुर्थ सेमेस्टर के दौरान प्रत्येक छात्र को अपने निर्धारित प्राध्यापक के मार्गदर्शनमें प्रत्येक विद्यार्थीयों को 60 घण्टे इंटर्नशीप कार्य नियमित अध्ययन के साथ–साथ अतिरिक्त समय में करना होगा । इसके लिये 100 अंक निर्धारितकिये गये है जिसमें से स्वतंत्र रूप से उसे कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होंगे ।

12.5 कृपांक –

स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अधिकतम 1 (एक) अंक प्राचार्य द्वारा देय होगा। परंतु इसे योग में नहीं जोड़ा जावेगा। यह कृपांक किसी भी स्तर पर उत्तीर्ण होने हेतु एक परीक्षा में केवल एक बार ही दिया जा सकेगा।

12.6 श्रेणी निर्धारण –

सैद्धांतिक प्रायोगिक आंतरिक और सेमीनार के योग के आधार पर श्रेणी का निर्धारण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत दोनों सत्रों के योग के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी।

प्रथम श्रेणी – 60% या अधिक पर

द्वितीय श्रेणी – 48% या अधिक परंतु 60% से कम

तृतीय श्रेणी – 36% से अधिक परंतु 48% से कम

सफल योग में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने पर विशेष योग्यता से उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

12.7 **श्रेणी सुधार –**

श्रेणी सुधार हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर अथवा द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के चार प्रश्न पत्रों में अवसर दिया जावेगा। यदि छात्र चाहे तो पूरे आठ विषयों में भी पुनः परीक्षा दे सकेगा परंतु यह अवसर लगातार दो वर्षों में ही प्राप्त हो सकेगा।

नोट – (1) परीक्षा प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार ही देनी होगी।

(2) श्रेणी सुधार परीक्षा के बाद बढे हुए अंक ही मान्य होंगे। यदि परिवर्तित अंक कम हों तो पूर्व अंक ही मान्य होंगे।

13. अंको के योग की जांच –

छात्र यदि चाहें तो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके एवं निर्धारित शुल्क जमा करके अपनी मुख्य परीक्षा के अंको के योग की जांच करवा सकेंगे। महाविद्यालयीन प्राचार्य द्वारा अंको के योग की जांच हेतु एक समिति गठित की जावेगी जिसमें कम से कम दो शिक्षक होंगे। यह समिति अंको के योग की जांच करेगी। एव इसकी सूचना पटल पर लगाई जायेगी। (नियम के लिये पैरा 7 देखें)

14. पूनर्मूल्याकन –

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र अधिकतम दो प्रश्न पत्रो का पुनर्मूल्यांकन करा सकेंगे। (नियम के लिये पैरा 8 देखें)

15. परामर्श की व्यवस्था (Advisory System)

15.1 बी.ए./बी.कॉम. के प्रथम वर्ष में तथा स्नातकोत्तर में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक परामर्शदाता से सम्बद्ध किया जावेगा। परामर्शदाता का चयन महाविद्यालय के शिक्षकों में से किया जावेगा।

15.2 सम्बद्ध परामर्शदाता निरंतर छात्र/छात्रा के हितों की रक्षा करेगा और उसे तब तक व्यक्तिगत परामर्श देगा जब तक कि छात्र अध्ययन कार्यक्रम पूरा न कर ले या अन्यथा महाविद्यालय छोड़कर न चला जावे।

15.3 प्रवेश के उपरांत परामर्शदाता व्यक्तिगत रुप से जानकारी करके अपने छात्र/छात्राका अद्यतन अभिलेख रखेगा और उसकी अकादमिक प्रगति के संपर्क में रहेगा। यह अभिलेख प्राचार्य द्वारा अवलोकन हेतु मांगा जा सकेगा।

15.4 परामर्शदाता अपने छात्रों से पखवाड़े में कम से कम एक बार सामूहिक रुप से संपर्क करेगा और उसका रिकार्ड रखेगा।

16. आचरण एवं अनुशासन संबंधी नियम

16.1 स्वशासी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से आदर्श चरित्र, अच्छे व्यवहार और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। उनसे अपेक्षा हैं कि महाविद्यालय के भीतर और महाविद्यालय के बाहर अच्छा व्यवहार रखेंगे।

16.2 सभी छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सुरुचिपूर्ण वस्त्र धारण करेंगे, धूमपान नहीं करेंगे, महाविद्यालय भवन फर्नीचर एवं अन्य सामान को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और उसे खराब नहीं करेंगे, तथा कक्षाओं में, प्रायोगिक के दौरान लाबी और बरामदे में, खेल के मैदान पर अशिष्ट भाषा का उपयोग नहीं करेंगे और न किसी हिंसा में सम्मिलित होंगे। महाविद्यालय मुख्य भवन एवं परिसर में पटाखे आदि नहीं जलायेंगे। इसे दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

16.3 सभी छात्र महाविद्यालय के अन्य छात्रों और कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे शिक्षकों, प्राचार्य एवं रजिस्ट्रार, मुख्य लिपिक, लेखापाल, छात्रलिपिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

16.4 सभी छात्र निर्धारित समय पर अपनी गतिविधिया पूरी करेंगे और महाविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं प्राचार्य द्वारा निर्धारित अकादमिक अनुसूची, समयचक्र और केलेन्डर के अनुसार अपना कार्य, अध्ययन पूरा करेंगे।

16.5 सभी छात्र निर्धारित कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे, प्रायोगिक कार्य, पूरा करेंगे और सेमीनार, मीटिंग, कान्फ्रेंस आदि जो विभाग द्वारा आयोजित की जावे, उनमें भाग लेंगे।

16.6 छात्र किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और कोई ऐसा समूह या संगठन नहीं बनायेंगे जो महाविद्यालय एवं राज्य शासन द्वारा छात्रों के लिये अनुमोदित न हो।

16.7 महाविद्यालय के द्वारा आयोजित मुख्य/पूरक एवं मध्यावधि परीक्षा में छात्र/छात्राओं को प्रश्न-पत्र वितरित हो जाने के बाद आधे घण्टे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे के बाद परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

16.8 प्रवेश-पत्र या प्रश्न पत्र पर उत्तर लिखना या कुछ और लिखना मना है । इसकी अवहेलना करने पर उस दिन के प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरस्त की जा सकती है ।

19. ग्रंथालय नियम

19.1 महाविद्यालय का ग्रंथालय मुख्यतः महाविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के लिये है। ग्रंथालय से छात्रों और अध्यापकों को पुस्तकें निर्धारित की जावेगी

19.2 महाविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों को वाचनालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकायें एवं शोध पत्रिकायें आदि निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। शोध प्रबंध एवं दुर्लभ ग्रंथ विशेष अनुमति से ही ग्रंथालय से उपलब्ध हो सकेंगे।

19.3 ग्रंथालय कर्मचारी पुस्तकों, संदर्भ के चयनय में निःशुल्क सहायता प्रदान करेंगे और आलेख/प्रलेख प्राप्त करने, सूचियां बनाने आदि के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे।

19.4 ग्रंथालय के सदस्यों को ही पुस्तकें निर्गमित की जावेंगी। ग्रंथालय का सदस्य बनने के लिये छात्रों को अपना परिचय पत्र ग्रंथालय में प्रस्तुत करना होगा। ग्रंथालय कार्ड अहस्तांतरणीय है और प्रति वर्ष इनका नवीनीकरण करना होगा।

19.5 गुमा हुआ ग्रंथालय कार्ड यदि मिल जाये तो उसे तत्काल ग्रथालय में लौटा देना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न किया जा सके।

19.6 ग्रंथालय में किसी प्रकार का बेग, फाइल रेनकोट या निजी पुस्तकें ले जाना वर्जित है। इन्हे प्रवेश द्वार पर स्थित काउन्टर पर जमा करना होगा।

19.7 ग्रथालय मे प्रवेश करते समय निर्धारित रजिस्टर मे हस्ताक्षर करना होगा। प्रत्येक प्रवेश के समय ऐसा करना होगा।

19.8 ग्रंथालय की पुस्तको को बिना अनुमति के ग्रंथालय के बाहर ले जाना, पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना, फाडना, पन्ने निकालना, उनमें कुछ लिखना, लाइन खीचना (अंडर लाइन करना) आदि कदाचरण माना जावेगा और ऐसा करने पर ग्रंथालय सुविधा से वंचित किया जावेगा और अथवा अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी।

19.9 छात्र/छात्राओं को चाहिए कि यदि पुस्तक में कुछ कटा फटा हो, पन्ने निकले हों या न हो तो उसे निर्गमन के समय ग्रंथालय से लेने के पूर्व ग्रंथालय को बता दें अन्यथा बाद में उन्हें ही इस क्षति का उत्तरदायित्व वहन करना होगा।

19.10 ग्रथालय मे पूर्ण अनुशासन एवं शांति बनाए रखना होगा।

20. विलम्ब शुल्क

ग्रंथालय से ली गई पुस्तकें निर्धारित समय में लौटा दी जानी चाहिए। विलम्ब से लौटाने पर नियमानुसार शुल्क देय होगा –

परीक्षा प्रकोष्ठ की उपलब्धियाँ –

(1) परीक्षा नियंत्रण कक्ष में चार कम्प्युटर हैं जिससे परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं परीक्षा फल तैयार किया जाता है ।

(2) परीक्षा नियंत्रण कक्ष में एक रिजोग्राफ मशीन उपलब्ध है जिसके परिणाम स्वरूप सभी महाविद्यालयीन परीक्षा के प्रश्न–पत्र की प्रिंटिंग सम्पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पन्न की जाती है ।

(3) महाविद्यालय की सभी विषयों के पाठ्यक्रम का मुद्रण कार्य भी परीक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाता है ।

(4) परीक्षा के परिणाम टेबुलेशन रजिस्टर में हर वर्ष रखे जाते हैं ।

(5) दो फोटो कापियर मशीनें भी यहाँ उपलब्ध है जिसके परिणाम स्वरूप न केवल गोपनीय कार्य वरन् अन्य महाविद्यालयीन कार्य में मदद मिलती है ।

इंटरनेट की सुविधा का लाभ लेते हुए महाविद्यालयीन द्वारा छात्रों को प्रवेश आन लाइन प्रवेश फार्म एवं परीक्षा फल को नेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है छात्रों को महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर सम–सामयिक घटनाओं /सूचनाओं जानकारी एस.एम.एस. से दी जाती है ।